First Published:01-04-2017 07:40:43 PM
Last Updated:01-04-2017 07:44:31 PM

मुख्यमंत्री ने दिए गोमती रिवर फ्रंट की जांच के आदेश

-मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव व सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक-हाईकोर्ट के रिटायर जज कर सकते हैं जांच, 45 दिन में देनी होगी रिपोर्ट- योगी के सख्त तेवर देखकर प्रोजेक्ट से जुड़े अफसरों-इंजीनियरों में मचा हड़कंप विशेष संवाददाता / राज्य मुख्यालयमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा सरकार में हुए निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनज़र शनिवार को कड़ा फैसला किया। उन्होंने लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट में हुए निर्माण की जांच के आदेश दिए हैं। जांच कैसे होगी इस पर अभी मुख्यमंत्री के अंतिम आदेश होने हैं।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मुख्य सचिव राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव सिंचाई सुरेश चंद्रा और लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को तलब किया। उन्होंने गोमती रिवर फ्रंट के कामों की फाइल भी तलब की। इसके बाद उन्होंने रिवर फ्रंट के निर्माण में हुए घोटाले की जांच के आदेश दिए। बैठक में हुई चर्चा के मुताबिक हाईकोर्ट के रिटायर जज से यह जांच कराई जा सकती है। जांच की रिपोर्ट देने की समय सीमा भी 45 दिन तय की जा सकती है। जांच के दायरे में गोमती रिवर फ्रंट के निर्माण में हुए घटिया कामों, ब्लैक लिस्टेट कंपनी को 700 करोड़ का ठेका देने और 600 करोड़ रुपये लागत के प्रोजेक्ट की रिवाइज लागत 1600 करोड़ रुपये तक पहुंचने के बिंदु शामिल होंगे। हालांकि, इस मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर सिंचाई विभाग को फाइल तैयार करनी है और मुख्यमंत्री उस फाइल पर अंतिम फैसला करेंगे। इसके बाद औपचारिक आदेश जारी होंगे। खास बात यह है कि सपा सरकार के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव और तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव का यह प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। यह प्रोजेक्ट तत्कालीन प्रमुख सचिव सिंचाई दीपक सिंघल के कार्यकाल में शुरू हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री व सिंचाई मंत्री के खास इंजीनियर भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। बहरहाल, मुख्यमंत्री श्री योगी के सख्त तेवर देखकर अफसरों में हड़कंप मच गया है।

Copyright © 2015 Hindustan Media Ventures Limited. All Rights Reserved.